रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय
सागर मध्यप्रदेश

कबीर धामआश्रम के सामने, केन्द्रीय विद्यालय नं. **03** के पास, राजघाटरोड, सागर (म.प्र.) **470001**

E.Mail-**hegc.newraniavsag@mp.gov.in** Phone No.- **07582299604**Website - **www.ralvv.mp.gov.in**

प्रवेश मार्गदर्शिका
Admission Guideline
सत्र 2026–27

रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय
सागर मध्यप्रदेश

डॉ. विनोद कुमार मिश्रा
(कुलगुरू)

डॉ. श्रीमती शक्ति जैन
(कुलसचिव)

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय

(RALVV)

का प्रवेश पोर्टल

https://utdadmission.mponline.gov.in/

क्र.	विषय	उपविषय	पृ. क्र.
1	प्रस्तावना		4
2	पोर्टलकीजानकारी		4
3	पाठ्यक्रमोंमेंप्रवेशप्रक्रियाकेलिएऑनलाइनपोर्टलपरमहाविद्यालयोंकानामजोड़नेकीकार्यवाही		4
4	आयुसंबंधीप्रावधान		5
5	स्नातकप्रथमवर्ष / स्नातकोत्तरप्रथमसेमेस्टरमेंनियमितप्रवेशहेतुपात्रता		5–12
6	प्रवेशप्रक्रिया		12
6.1	ऑनलाइनपंजीयन		12
6.2	पंजीयनहेतुपूरकप्राप्तविद्यार्थियोंसंबंधीनिर्देश		14
6.3	विश्वविद्यालय / पाठ्यक्रमचयनप्रक्रिया		14
6.4	पंजीयनहेतुआवश्यकप्रमाणपत्र/दस्तावेजअपलोडकरनेकीप्रक्रिया		14–15
6.5	पंजीकृतआवेदकोंकेदस्तावेजोंकेसत्यापनकीऑनलाइनप्रक्रिया		15
6.6	सीटोंकेआवंटनहेतुगुणानुक्रमएवंप्राथमिकताकानिर्धारण		17–20
6.7	विश्वविद्यालयस्तरपरसंचालितसर्टिफिकेटकोर्सचयनप्रक्रिया		20
7	ऑनलाइनसी.यू.ई.टी. चरणमेंविश्वविद्यालयकेरिक्तस्थानोंपरप्रवेशहेतुपात्रविद्यार्थियोंहेतुचयनप्रक्रिया		20–21
8	प्रवेशस्थितिकरणप्रक्रियाएवंशुल्कवापसीप्रक्रिया		21–22
9	शासकीयसेवककेस्थानांतरणहोनेपरपात्रताकेप्रवेशसंबंधीनिर्देश		22
10	पूरकप्राप्तआवेदकोंकेप्रवेश		22

क्र.	विषय	उपविषय	पृ. क्र.
11	म.प्र. शासनद्वाराविद्यार्थियोंकेप्रवेशहेतुहितग्राहीयोजनाएं	—	22–25
12	वन-स्टेप-अपयोजनांतर्गतप्रवेश (स्कूलशिक्षाविभागमेंकार्यरतशिक्षकोंहेतु)	—	26
13	स्ववित्तपोषीपाठ्यक्रमोंमेंप्रवेशसंबंधीप्रावधान	—	26–27
14	प्रवेशहेतुपात्रता	—	27
16	प्रवेशनवीनीकरणप्रक्रिया	—	27–30
17	स्नातककक्षाओंमेंए.टी.के.टी./सी.बी.सी.एससेसंबंधितप्रवेशनियम	—	30
18	स्नातकोत्तरकक्षाओंमेंए.टी.के.टी. सेसंबंधितप्रवेशनियम	—	30–31
19	प्रवेशसीटसंख्याकानिर्धारण	—	31
20	समयसीमाएवंसंबंधितप्रवेशनियम	—	31–32
21	सामान्यपाठ्यक्रमोंहेतुप्रवेशकीपात्रता	—	32–33
22	विशेषप्रकरणसंबंधीप्रवेशहेतुपात्रता/अपात्रता	—	33–34
23	बाह्यराज्यकेआवेदकोंहेतुप्रवेशनियम	—	34
24	आरक्षण	—	34–40
25	अधिकार	—	40–44
26	प्रवेशसंबंधीविशेषप्रावधान	—	44–47
27	विषयवार सीट एवं शुल्क	—	48–49
28	प्रवेश समिति	—	50
29	सत्यापनहेतुसहायताकेंद्रकीजानकारी	—	51
30	विभिन्नप्रमाणपत्रोंकेप्रारूप	—	52–58

प्रवेशनियमएवंमार्गदर्शीसिद्धांत

1.मार्गदर्शकसिद्धांत

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिसूचित अध्यादेश क्रमांक-18 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर लागू होंगे तथा समय-समय पर जारी नवीन नीतियों के प्रावधानों के अनुसार नियम/निर्देश लागू होंगे। साथ ही अन्य विभागों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू नवीनतम CBSE, NCTE संबंधी निर्देश विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालयों के अनुसार लागू होंगे।

1.1

विश्वविद्यालय में प्रवेश उपरांत नियमित कक्षाएं उक्त अवधि में लिये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिए जाने की व्यवस्था की जाये।

2. पोर्टल की जानकारी :

2.1

नवीनतम एवं अद्यतन प्रक्रिया की जानकारी विभागीय पोर्टल https://utdadmission.gov.in , https://ralvv.mponline.gov.in मोबाइल ऐप एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर विश्वविद्यालय का नाम जोड़ने की कार्यवाही :

I. विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी/अद्यतन करनी होगी।
II. प्रोफाइल बनाने तथा संशोधन उपरांत होने के पश्चात संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
III. प्रोफाइल बनाते समय विश्वविद्यालय का वर्तमान मान्य/स्थायी मान्यता प्रमाण पत्र, निरंतरता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
IV. विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु दिए गए नामांकन प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
V. विधि पाठ्यक्रम हेतु BCI एवं NCTE पाठ्यक्रम हेतु NCTE की मान्यता (recognition) एवं निर्धारित सीट क्षमता का प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य होगा।
VI. NCTE पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन का शुल्क, विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
VII विश्वविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक अंकित करना सुनिश्चित करें। इससे प्राप्त होने वाली बैंक खाते पर छात्र बैंक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया द्वारा सीधे ही विश्वविद्यालय के खाते में प्रविष्टि विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क राशि जमा होगी।
VIII.विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफाइल अद्यतन करते समय विश्वविद्यालय नीति का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।

IX. विश्वविद्यालय के प्रोफाइल में गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रोफाइल को पुनः संपादित (Revert) किया जायेगा। त्रुटि सुधार की गई प्रविष्टि को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया में वंचित होना होगा।द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

X. विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी नवप्रमाणों के सत्यापन में त्रुटि होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रोफाइल को पुनः परिवर्तित (Revert) किया जाएगा। परिवर्तित की गई प्रविष्टियों को विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतनन करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा।

ऐसी स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उक्त विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

XI. विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आयुक्त उच्चशिक्षा स्तर पर NCTE से संबंधित महाविद्यालयों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। परिवर्तित की गई प्रोफाइल को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने परप्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा।

XII. माननीय न्यायालय से प्रवेश के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आदेशों के लिए संबंधित आवेदक विश्वविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल दर्ज करना अनिवार्य होगा। तदनुसार प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार आयुक्त उच्चशिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर से ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी।

4. आयुसंबंधीप्रावधान :

विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

5. स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :

5.1 स्नातक स्तर हेतु :- 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथमवर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता नियमानुसार होगी:

स.क्र.	10+2 परीक्षाअर्हकारी	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के समस्त विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृहविज्ञान संकाय
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृहविज्ञान संकाय
3	कला	कला संकाय/गृहविज्ञान संकाय
	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीवविज्ञान समूह) (जीवविज्ञान समूह के सूचीबद्ध विषयों) जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीजटेक्नोलॉजीआदिविषय

5	व्यावसायिकपाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृहविज्ञान संकायअंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 4.7) का अवलोकन करें

नोट :- BCA /BBA के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के नियमों के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

5.1.1 पात्रता संबंधी स्पष्टी करण:

10+2 का तात्पर्य मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इण्टरमीडिएट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।
स्पष्टीकरण- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. एम.पी. बोर्ड से मुक्त बोर्ड (एन.पी. बोर्ड) पोर्टल पर दर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में पात्रता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।अन्य बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाणपत्र प्रवेश पोर्टल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसेऑनलाइन पंजीयन के समय विद्यार्थी को अपलोड करना होगा।

5.1.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्णआवेदक:-

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय जैसे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी एवं मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एंड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी., वेब प्रोग्रामिंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस आदि (निर्धारित है) उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल से मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्णय में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र की अंतिम मान्य मानी जाएगी।

5.1.3 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

5.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्डरी (एम.पी.एस.ई.) उत्तीर्ण आवेदकों में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.2 स्नातकोत्तर स्तर (दोवर्षीय/4 सेमेस्टर) हेतु:-

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथमसेमेस्टर	बी.कॉम./बी.कॉम (तीनवर्षीय) मेंस्नातककीडिग्री (ऑनर्सकोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.कॉम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रमके लिए पात्र है।अथवा संबंधित विषयमें CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ (तीनवर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ऑनर्सकोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी मेंस्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है।अथवा संबंधित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3	एम.ए. प्रथमसेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ऑनर्सकोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है।अथवा संबंधित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
स्नातकोत्तर एकवर्षीय / 2 सेमेस्टर		
1	एम.कॉम. (स्नातकोत्तर एकवर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षानीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.कॉम. ऑनर्सअथवा बैचलर ऑनर्स विथ रिसर्च।
2	एम.एस.सी. (स्नातकोत्तर एकवर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षानीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. ऑनर्स अथवा बैचलर ऑनर्स विथ रिसर्च।
3	एम.ए. (स्नातकोत्तर एकवर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षानीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.ए. ऑनर्सअथवा बी.ए. ऑनर्स विथ रिसर्च।

5.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण:-मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाणपत्र कीआवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.3 एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत –

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%

अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

5.3.1 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत : – हायर सेकण्डरी एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्डरी (व्यवस्था) में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे -

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

6. प्रवेश प्रक्रिया**:-**

• प्रवेश विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2026-27 हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से एवं तत्पश्चात ई-प्रवेश चरण आयोजित किया जायेगा।

• ऑनलाइन प्रवेश में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पुस्तिका में जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः कराना होगा। यू.एल.सी. चरण में रिक्त सीटों पर विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

6.1 ऑनलाइन पंजीयन **:**

6.1.1 विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन मोबाइल एप / ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे।

6.1.2 पंजीयन के पश्चात आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिए कि वे अपने प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, लिंग, धर्म, जन्मतिथि एवं स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार / मूल निवास का पता, हस्ताक्षर, फोटो पहचान पत्र एवं फोटोग्राफ का मिलान आवेदन की प्रविष्टियों से अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई त्रुटि न हो।आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही भरा गयाहै । ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों की किसी भी दशा में बदलाव नहीं जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन/प्रवेश निरस्त होने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।टी.सी./अंकसूची एवं आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि में यदि भिन्नता हो तो मान्यताप्राप्त बोर्ड द्वारा जारी 10वीं की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाएगा।

6.1.2 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रवेशहेतु आवेदक को कोर्स एवं विश्वविद्यालय का चयन करना होगा जिन में आवेदक प्रवेश चाहता है।इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं विश्वविद्यालय का चयन करना होगा।

6.1.3 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन (कम्प्यूटर विश्वविद्यालय से स्थानांत रित विद्यार्थियों के लिए फार्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किस्त के भुगतान उपरांतआवेदक का नामांकन एवं यूनिक आई.डी. की जनरेशन स्वतःपूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिक आई.डी. के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात नियमित विद्यार्थियों के लिए "आर" और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए "पी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा।संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांकके साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे "बीयू" अंकित किया जाएगा।विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को नवीन नामांकन क्रमांक एवं यूनिक आई.डी. पुनःप्रदान किया जाएगा तथा संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। उसके पूर्व के नामांकन क्रमांक को संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे "बीयू/डी.ए.वि.वि." आदि अंकित किया जाएगा।

6.1.4 पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु अर्हता स्नातक है, उनमें अर्हता धारी स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में अस्थाई प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीयवर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष के कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा यू.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम सेचतुर्थ / पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची निर्धारित की जाएगी।

6.1.5 NCTE पाठ्यक्रमों हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक 983/सीसीटी/14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/406/अधि/मध्य 4/5 दिनांक 04.09.2015 के तहत स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित विद्यार्थी स्नातक प्रथम सेमेस्टर के अध्ययनरत एवं वि.वि. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्रवेश में सर्वथावरीय, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हों। स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण (ए.टी.के.टी.) होने पर डिग्रीधारी विद्यार्थी के रूप में वे केवल उसी उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।

6.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं उपस्थित होकर हेल्प सेंटर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार चरणवार नियमानुसार देय होगा:-

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि 100 रुपये का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा। छात्राओं से प्रथम चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण के उपरांत पंजीयन शुल्क एवं विलंब शुल्क सहित राशि रुपये 150/- का भुगतान समस्त छात्र/छात्राओं को करना होगा। सत्यापन भी ऑनलाइन ई-स्त्यापन होगा।

6.1.8 वांछित पाठ्यक्रम के स्थान त्रुटिवश अन्य पाठ्यक्रम में पंजीयन होने संबंधी प्रावधान :-

यदि आवेदक द्वारा जैसे स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिवश स्नातक में पंजीयन कर दिया हो तो आवेदक को ऐसा पंजीयन निरस्त कर पुनः पंजीयन करना होगा।

6.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश **:-**

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी अस्थाई प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परंतुआवश्यक दस्तावेज / प्रमाणपत्र अपलोड नहीं कर सकेंगे। चयनित पाठ्यक्रम / विश्वविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया में, यू.एल.सी. चरण के अंतिम चरण में ही सम्मिलित हो सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य चक्र कार्यवाही के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें यू.एल.सी. के चरण में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही विश्वविद्यालय/ पाठ्यक्रम की स्वीकृति स्थिति एवं दस्तावेज / प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के यू.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा।

6.3 विश्वविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2025-26 की ऑनलाइ नई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 10 विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन प्राथमिकता (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे।

6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया**:-**

ई सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा। केवल विश्वविद्यालय के आवेदन करने वाले आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे जिनका ई-सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैनकर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय)

1. मूल निवास प्रमाण-पत्र
2. न्यूनतम अर्हताकारी परीक्षा की अंक सूची
3. स्नातक स्तर के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इंटरनेट से डाउनलोड की गई स्वयं प्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।
4. स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अपलोड की गई प्रथम, द्वितीय वर्ष/प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर की अंक सूची के साथ तृतीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर (छठवें सेमेस्टर) की नेट से डाउन लोड की गई अंक सूची को स्वप्रमाणित करने के बाद एक साथ दोनों अंक सूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. स्नातकोत्तर (एक वर्षीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक ऑनर्स/ ऑनर्स with रिसर्च का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक तृतीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर की अंक सूची के साथ तृतीय वर्ष/पंचम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वप्रमाणित करने के बाद एक साथ स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. जाति प्रमाण पत्र संबंधी:- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, यदि लागू हो तो)।

(क) आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/अशि/द्वि/ए-3/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

(ख) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र की सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे।

7. संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी:- संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्ग दर्शिका के बिंदु क्र. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें (सैनिक/सैनिक विधवा / दिव्यांग / पिछड़ा वर्गआदि, यदि लागू हो तो)।
8. मूल निवासी संबंधी:-मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्य प्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
9. आय प्रमाण-पत्र:- नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं ई डब्ल्यू एस (EWS) के आवेदकों के लिए स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुसार (क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र.एक भोपाल, दिनांक 02.11.2017)
10. चिकित्सा प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड हेतु) जो भी लागू हो।
11. (i) अधिभार प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एडहेतु) जो भी लागू हो। बिंदु क्रमांक 5.4.1 का (घ) की तालिका के अनुसार
    (ii) अधिभार प्रमाण-पत्र NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जो भी लागू हो-

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये आवेदन करने के लिये आवेदन क्रमांक नंबर के नियत सत्र अर्थात सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे, तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन शैक्षणिक सत्र (अर्थात सत्र 2022-23 के पूर्व) के मान्य नहीं होंगे, तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही बार में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समयअपलोड करें।

(द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्ग दर्शिका के बिंदु क्र.25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

12. सेवा सरत संस्था के प्रमुख / अध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (बी.एडअंशकालीन हेतु)

6.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया :

(अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फार्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय

महाविद्यालयों हेल्पसेंटर द्वारा ऑन लाइन सत्यापन किया जायेगा। आवेदक यह सुनिश्चित करें कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

6.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश**:-**

(अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शासकीय विश्वविद्यालय हेल्पसेंटर आवंटन अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी सत्यापन पूर्ण के बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक काऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।

(ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(स) आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सत्यापित होने की एस एम एस सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस एम एस के माध्यम से भेजी जाएगी।

(द) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिनआई.डी. सेआवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

6.5.2 असत्यापित / त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण जानकारी युक्तआवेदन संबंधी निर्देश **:-**

(अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन फार्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज असत्य/अस्पष्ट/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) संबंधित सत्यापन कर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटि पूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संशोधन किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में असत्यापन या त्रुटि पायी जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एस एम एस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी एवं आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय का चयन करना होगा। सत्यापन कर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को 'असत्यापित या त्रुटि पूर्ण' वर्ग में चिन्हित करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस एम एस के माध्यम से भी दी जायेगी। आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश (एस.एम.एस एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए गये स्टेटससे) चेक करते रहें।

(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक को मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय विश्वविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना होगा। अन्यथा के स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। शासकीय विश्वविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन उपरांत, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात ऑनलाइन माध्यम से पर्ची (ऑन लाइन एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट) आवेदक को दी जायेगी।

(द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस एम एस के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

(य) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त/अनावश्यक दस्तावेज/एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापन कर्ता अधिकारी उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराये गए डैश बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे जिससे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आवेदन/प्रस्ताव स्वीकृत आवेदन न हो।

(र) सत्यापन के पश्चात भी आवेदन फार्म में त्रुटि होने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों में परिवर्तन कर शासकीय विश्वविद्यालय के सहयोग से त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेगा।

(ल) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन किया जायेगा।

(ब) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा हेल्प सेंटर द्वारा की गई त्रुटि का सुधार सत्यापन उपरांतन हीं किया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा।

6.6 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण:-

(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण –

प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी। सीट आवंटन चयन विषय के आधार पर किया जायेगा।

(ब) प्राथमिकता (विकल्प) में प्राथमिकता का निर्धारण –

किसी एक विषय के स्नातक (निर्धारित) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में स्थान रिक्त होने की दशा में ही प्राथमिकता (द्वितीय) में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे आवेदक प्रथमचरण में पंजीयन कर सकेंगे परंतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर सकेंगे। विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया यू.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।

(स) बी पी एड एवं एम पी एड पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक तथा स्पोर्ट्स प्रोफिशियन्सी के लिए बोनसअंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार कुल समेकित प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

सत्यापन के पश्चात केवल NCTE पाठ्यक्रमों की गुणानुक्रम के आधार पर ही मेरिट सूची जारी की जायेगी।

6.6.1 प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया

(अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई डी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क भुगतान पश्चात्प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी विश्वविद्यालय अपनी लॉगिनआई डी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।

(ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय / विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।

(स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

(द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित विश्वविद्यालय में जाने प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंकइनिशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

(य) NCTE पाठ्यक्रमों में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को समस्त मूल दस्तावेजों एवं मूल टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित हेल्प सेन्टर पर उपस्थित होंगे। सत्यापन उपरांत आवेदन पत्र एवं आवंटन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति, मूल टी.सी./माइग्रेशन हेल्प सेन्टर में जमा की जाएगी। सत्यापन उपरांत आवेदक प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे।

(र) अर्हता परीक्षा के परिणाम घोषित न होने पर आवेदक मूल टी.सी. माइग्रेशन के स्थान पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ल) ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्कसहित) का भुगतान विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।

(व) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित विश्वविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्जित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय के खाते में टी.एल. ट्रांसफर होगा।

6.6.2 विश्वविद्यालय/संस्थान/ मेजर विषय में आवंटन पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश:-

आवेदकों को विश्वविद्यालय आवंटन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश शुल्क जमा करने के पूर्व मेजर विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत एवं पाठ्यक्रमानुसार तीन मेजर विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक उक्त तीन विषयों में से अपने 1 मेजर 2 माइनर तथा अनिवार्य विषय का चयन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के अन्य संकाय संबंधी होने की स्थिति में आवेदकों को वैकल्पिक विषय के स्थान पर किसी संकाय में सामान्य वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। इसके साथ ही आवेदक उस संबंधित विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक विषय में से एक व्यावसायिक विषय एवं प्रोजेक्ट / इंटर्नशिप / अप्रेंटिसशिप / कम्युनिटीएंगेजमेंट में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा।

6.6.3 ऑनलाइन **(**प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क भुगतान प्रक्रिया**)**

(अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय माध्यम स्तर की कक्षा का लाभ लेने हेतु पूर्व माध्यमिक स्तर पर दी गई स्वघोषित आय.डी. दर्ज करनी होगी।

(ब) ऐसी बालिकाएं जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है, प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाड़ली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

(स) सत्र 2025-26 में जन जातीय कार्य द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ऐसी स्थिति में यदि आवेदक मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्य मंत्री जन कल्याण योजना/मुख्य मंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर योजना चयन करने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना होगा।

(द) आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क सामान्य प्रक्रिया हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित राशि तथा संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क 5000 तक एक मुश्त तथा 5000 से ऊपर 3 किश्तों में जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक को छात्रवृत्ति योजना, मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना /मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना/मुख्य मंत्रीकोविड-19 बाल कल्याण योजना का चयन भी करना होगा। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु समस्त शुल्क तीन किश्तों में जमा किया जायेगा। मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्य मंत्री जनकल्याण (मित्र छात्र) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के प्रावधान के नियम निर्देश 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के अनुसार होगी (NCTE में लागू नहीं)।

(य) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेटबैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू पी आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा।

(र) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल पर प्राप्त होगी।

6.6.4 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-
आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप प्राप्त करने के लिए आवेदक पंजीकरण क्रमांक एवं आई. डी. पास वर्ड डालकर पोर्टल से प्रिंट ले सकते हैं। आवेदक को प्रवेश स्लिप का प्रिंट लेने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

6.6.5 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश **:-**

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन / प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क

का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्जित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण – विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित विश्वविद्यालय की प्रोफाइल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी विश्वविद्यालय अपने बैंक खाता क्रमांक को प्रोफाइल अपडेट करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विश्वविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालय के बैंक खाते में त्रुटि पूर्ण बैंक खाते के कारण विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित विश्वविद्यालय के बैंक खाते में तब तक जमा नहीं हो पायेगी, जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा बैंक खाते की त्रुटियों को दूर कर अपडेट नहीं किया जाता है।

6.6.6 शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आवंटनानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश रसीद (Admission Slip), मूल टी.सी. एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता होगी।

6.7 विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया**:-**

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित एक माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थियों ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी विश्वविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अपडेट करना अनिवार्य होगा।

7. ऑन लाइन यू.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया:-

7.1 यू.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित रहेगी।

7.2 इच्छुक आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यू.एल.सी. चरण में विश्वविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। विश्वविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

7.3 चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन यू.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

7.4 यू.एल.सी. चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 2.6.1 के प्रावधानों के लिखित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेगी।

7.5 ऑनलाइन यू.एल.सी. प्रवेश प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व चयनित विकल्पों में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।

7.6 यदि आवेदक द्वारा चयन महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उसे प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालयों के चयन की सुविधा रहेगी, किन्तु आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

आवेदक महाविद्यालयों का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकतानुसार, बिना किसी दबाव एवं स्व-विवेक से बहुत सोच-समझ कर करें, जिससे मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में ही सुनिश्चित हो सके।

7.7 NCTE पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदकों की सीट आवंटित होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या संबंधित कॉलेज निरस्त करने की स्थिति में ऐसे आवेदकों को घोषित समय सारणी अनुसार आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किये जाने से वंचित किया जाएगा।

7.8 पुनः रजिस्ट्रेशन कराने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

7.9 आवेदक जिन के द्वारा पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन करवा सकेंगे तथा आवेदन/विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/सत्यापन पश्चात यू.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

7.10 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों की यू.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।

7.11 यू.एल.सी. में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

8. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया

8.1 ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2025-26 में प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

8.2 आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन प्रक्रिया मान्य नहीं होगी।

8.3 शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय विश्वविद्यालय एवं अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेने के पश्चात ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर विश्वविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से हटाना सुनिश्चित होगा।

8.4 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण करने पर आवेदक को अपना खाता क्रमांक एवं आई एफ एस सी कोड भी दर्ज करना होगा जिसमें से प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जायेगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

8.5 चयनित शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण कराने पर प्रवेश शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जप्त किया जायेगा।

8.6 "रुक जाना नहीं" योजना अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में "रुक जाना नहीं" योजना अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदक, पात्र होने पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर सत्यापन पश्चात ऐसे आवेदक अर्हता प्राप्त होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्नातकोत्तर (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

9. शासकीय सेवक के स्थानांतरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश

शासकीय सेवक के स्थानांतरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश 23.1 (अ) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सेवक के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्यों को विश्वविद्यालय में आवेदन करना होगा। स्थान रिक्त होने पर प्रचलित नियम के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात विद्यार्थियों के उपर्युक्त के किसी भी विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर कार्यभार ग्रहण की दिनांक से एक माह के भीतर प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी (**उक्त प्रावधान NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होंगे**)।

10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश**:-**

10.1 ऑनलाइन चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन यू.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जायेगा।

10.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन / दस्तावेज अपलोड / विश्वविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन एवं सत्यापन निर्धारित तिथियों में पूर्ण कर लिया हो।

10.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त होने पर आगामी यू.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

नोट:- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंकसूची ही ऑनलाइन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।

10.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अपडेट करनी होगी। जिससे आवेदक का प्रवेश

निरस्त/निरंतर किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काट कर शेष राशि वापस की जायेगी।

11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :-

मध्य प्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं की समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हाइपर लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 806/342/सी.सी.1/2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 से मुख्य मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।
इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत किया गया है।

11.1.1 पात्रता की शर्तें **:-**

i. मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
ii. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम हो।
iii. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

11.1.2 योजना का स्वरूप **:-**

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जायेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं की ट्यूशन फीस एवं अधिकतम शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (तीन शुल्क एवं कोर्स मनी को छोड़ कर) जो शुल्क नियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का भुगतान किया जायेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

11.1.3 विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मे सशुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा शेष शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, नामांकन शुल्क सहित एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु निरस्ती परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2 मुख्य मंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY)

मुख्य मंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जायेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11.2.1 पात्रता की शर्तें **:-**

i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर प्रदान की जायेगी।
ii. विद्यार्थी के माता पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

11.2.2 योजना का स्वरूप

कार्यपालन आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 525-484/आईटी-3/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मे सशुल्क एवं कोर्समनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

11.2.3 स्पष्टी करण: स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मे सशुल्क एवं कॉशनमनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु निर्धारित परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने के पूर्व विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का पृथक-पृथक अध्ययन करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय उक्त योजनाओं का चयन करें।

11.3 मुख्य मंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.06.2021 केअनुसार।

11.3.1 योजना का उद्देश्य **(**परिशिष्ट **1):-**

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमामय जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी कर सकें। यह योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

11.3.2 परिभाषा **(**परिशिष्ट **3):-**

परिवार से अभिप्राय पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। (परिशिष्ट 3.1)
बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिकाओं से जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी

कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिन के माता-पिता की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके शेष अभिभावक की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अन्य दूसरे की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.3)

कोविड-19 में मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई हो।

11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4):-

प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्य मंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

11.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से वे अनाथ हो गये हों को उच्च शिक्षा सहायता (विवरण देखे) (परिशिष्ट 6.3.2):-

(अ) शासकीय अनुदान प्राप्त शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हित ग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मे सशुल्क सहित) का लाभ देय होगा।

साथ ही कॉशन मनी जमा कराने से छूट रहेगी। बालहित ग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रति पूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त समिति के 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रुपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रति पूर्ति बाल हितग्राही के आधार लिंक्ड बैंक खाते में की जायेगी।

11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व में किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्राप्त होगा। (परिशिष्ट-5.3.4)

11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)

11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)

11.4 लाड़ली लक्ष्मी योजना**:-**

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जायेगी। लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक की शिक्षा शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य **:-**

i. मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना
ii. आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना
iii. समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना
iv. बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना

पात्रता की शर्तें **:-**

i. एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिकाएं
ii. माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों
iii. माता-पिता आयकर दाता न हों
iv. माता-पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
विशेष: उपरोक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लिखित विशेष प्रावधान संबंधी नियम लागू होंगे।

योजना का लाभ **:-**

i. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपये 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जायेगी।
ii. लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

12 वन-स्टेप-अपयोजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-

12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप-अपयोजनान्तर्गत शासकीय/निजी स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम पत्र क्र. 244.2/20201/5420.2ए दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगे। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय की सीटों के 02 प्रतिशत स्थानउपलब्ध रहेंगे।

12.2 वन-स्टेप-अपयोजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/विश्वविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं)

13. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया**:-**

13.1 राज्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला स्तर के अध्ययन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को समतुल्य यदि माना हो तो उस बोर्ड के छात्रों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर भी यू.एल.सी. चरण में सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा तथा यू.एल.सी. चरण के इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतःनिरस्त हो जायेगा।

13.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समय सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा विश्वविद्यालय को प्रावधिक प्रवेश तथा नियमित विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाइन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

14. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान **:-**

सत्र 2025-26 से शासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहती हैं तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

14.1 सत्र 2024-25 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में हैत भी उस पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेश दिया जायेगा, अन्यथा 24 या 24 से कम प्रविष्टि संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

14.2 सत्र 2024-25 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में हैत भी उस विषय में सत्र 2025-26 में प्रवेश दिया जायेगा, अन्यथा 09 या 09 से कम प्रविष्टि संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

14.3 सत्र 2025-26 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

15. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता **:-**

15.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

15.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष/सातवां

सेमेस्टर) ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

15.3 विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय की परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।

15.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष, प्रथम सेमेस्टर (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः तृतीय वर्ष/सातवां सेमेस्टर) में गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा तथा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जायेगा।

15.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

16. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस की समय सीमा में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

16.1 स्नातक चतुर्थ वर्ष के संबंध में दो विकल्प होंगे **:-**

(i) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स (तभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी)
(ii) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स शोध रिसर्च (केवल 7.5 सी.जी.पी.ए. से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे)
(iii) विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे।
(iv) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स शोध रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत विश्वविद्यालय में ही लिया जा सकेगा।
(v) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स शोध रिसर्च का विकल्प विश्वविद्यालय में न मिलने की दशा में नजदीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
(vi) विद्यार्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प चयन करना होगा।
(vii) विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत प्रवेश शुल्क हेतु लिंक जनरेट की जायेगी।
(viii) लिंक जनरेट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे।
(ix) स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा।

16.2 पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे **:-**

स्नातक स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑन लाइन प्रवेश दिया जायेगा एवं अगले वर्षों में (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) तथा सेमेस्टर में (तृतीय, पंचम एवं सातवां सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतःऑनलाइन ही होगी।

16.2.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष उत्तीर्ण एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

16.2.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण, किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो सेअधिक प्रकरणों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

16.2.3 सत्र 2025-26 से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ऑर्डिनेंस 14 (i) के प्रावधान लागू होंगे (कला/विज्ञान संकाय) तथा पूर्व वर्षों में प्रवेशित विद्यार्थियों पर यथावत ऑर्डिनेंस (14 ग) लागू होंगे (कला/विज्ञान संकाय)।

16.2.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर अध्यादेश 14(2) लागू होगा।

16.3 स्नातकोत्तर स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा एवं अगले सेमेस्टरों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण, किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में कुल 4 प्रकरणों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रकरणों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

16.4 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश नियम अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनी करण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जायेगा। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार संपूर्ण प्रवेश शुल्क / 10 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमाकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर ही ऑनलाइन जमा करना होगा।

16.5 सत्र 2021-22 में लागू मुख्य मंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (वर्णित बिंदु 11.3) के अंतर्गत नियम अनुसार पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश/नवीनीकरण निःशुल्क किया जाना है।

16.6 शासकीय सेवक के स्थानांतरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश**:**

कंडिका 23.1 (अ) में उल्लिखित शासकीय सेवक के स्थानांतरित होने पर प्रवेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16.7 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सी सी/14-5, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में

नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वे विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरांत विश्वविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय/ चतुर्थ वर्ष में तथा तृतीय/पंचम/सप्तम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) द्वितीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

16.7.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 16/5/929/2018/36-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/अनियमित विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे सत्र 2025-26 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी अनियमित विद्यार्थी जो सत्र 2024-25 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2025-26 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

16.8 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

16.9 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

16.10 विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया**:-**

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थियों ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी विश्वविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्स वार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अपडेट करना अनिवार्य होगा।

17. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे –

17.1 सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में पूरक का परिणाम घोषित होने के पश्चात सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

17.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

17.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पास के गा। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

17.4 स्नातक पाठ्यक्रम कीअधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

17.5 विशेष परिस्थितियों कार्यपालनआयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आई टी-3/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद/युवा महोत्सव (युवा उत्सव)/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड गतिविधियों में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रावधान के अंतर्गत उनकी परीक्षाएं उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा सकती हैं।

द्वारा समय सारणी जारी कर आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जायेंगे।

18. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम:-

18.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्नपत्रों की परीक्षा होगी।

18.2 दो प्रश्न पत्रों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

18.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पास केगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

18.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

19. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण:-

19.1 विश्वविद्यालय में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के कुलगुरू से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

19.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य सीट वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

19.3 विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या के अनुसार प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।

19.4 इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त विश्वविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह, निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/विषयवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की शुल्क सहित

विस्तृत जानकारी के साथ विश्वविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर दर्ज/अपडेट कर लॉग करेंगे।

19.6 विश्वविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही बैंक खाते का कैंसिल चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में विश्वविद्यालय को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अंतरित की जायेगी।

19.7 प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को समावेश करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जायेगी।

20. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम

20.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एन.आई.ओ.एस.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षा, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

20.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से समकक्ष होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उच्च शिक्षा विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही ऐसे बोर्ड ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर मान्य सूची में प्रविष्टि होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रविष्टि होने के पश्चात ही प्रवेश हेतु आवेदन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

20.3 विदेशी बोर्ड से अहर्ता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी सम कक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

20.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की सम कक्ष परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के समकक्ष मानी जायेगी।

20.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालयया शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधिमान्य नहीं होगी।

20.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान में मिलने वाले विषय, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी एवं फिजिक्स, क्लीनिकल, कैमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कंप्यूटर से संबंधित विषय और प्रोग्राम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डी.सी.ए. प्रोग्रामिंग, एकाउंट्स असिस्टेंट आदि शामिल हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के

उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु दिए गए ऑनलाइन आवेदन की रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकरण में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्णय में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र की स्थिति मानी जायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का पूर्ण दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

20.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

21. सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता**:-**

(सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए लागू, NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़ कर)

21.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सामान्य निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मचारी जिनका पदस्थापन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जन्म कर्मियों के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार चयन के पश्चात स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य राज्यों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) जम्मूकश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थियों एवं उनके पाल्यों/पाल्याओं के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे -

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्रावीण्य में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय-निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आगे के वर्षों में प्रवेश की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मूकश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में दो अतिरिक्त सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश लेने के पूर्व सम्बंधित विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करना होगा तथा संपूर्ण शैक्षणिक रिकॉर्ड संबंधित विश्वविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित विश्वविद्यालय का होगा।

22. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता **:-**

22.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

22.2 विश्वविद्यालय में कोर्स जोड़ करने या विश्वविद्यालय की मान्यता को नये करने के प्रकरण लंबित होने की स्थिति में प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। इंजीनियरिंग के संबंध में यू.जी.सी. के मानक एफ.1-16/2007 (टी.पी.सी.) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आईटी-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टॉल रेंस पालिसी लागू रहेगी।

22.3 ट्रांसजेंडर को केवल सह-शिक्षा विश्वविद्यालय में ही प्रवेश दिया जाएगा।

22.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवाकर कर्मियों को उनकी दैनिक कार्य की अवधि में संचालित विश्वविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है, लेकिन दैनिक कार्य अवधि के पश्चात संचालित विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर संबंधित नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

23. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम **:-**

23.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एससी. (गृह-विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने पर) राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूह में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

23.2 मध्य प्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष अथवा द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के किसी विश्वविद्यालय/स्वशासी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

23.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी/भ्रामक जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

23.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व शासन द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय थानों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

23.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थानआरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

23.6 विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत संस्था के प्रभारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

24. आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर) :-
मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

24.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतियोगिता में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीट अप्रभावित रहेगी परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी अन्यवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि वर्ग से हो तो संबंधित वर्ग की सीट उक्त श्रेणी में भरी मानी जायेगी। संबंधित विशिष्ट वर्गों की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

24.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थानआरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

24.3 पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। मध्यप्रदेश राज पत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13581-227-इ सी/अ (1) दिनांक 13.08.2019 द्वारा संबंधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा।

24.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नाती/नातिनों, भारतीय सेना में सेवाकाल के दौरान वीर गति को प्राप्त अथवा स्थायी रूप से नि:शक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूत पूर्व तथा वर्तमान सैनिकों (Defence personnel) के आश्रित/सेंट्रलआर्म पुलिस फोर्स के कर्मियों के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थानआरक्षित रखे जायेंगे।

इस श्रेणी के दिव्यांग श्रेणी केआवेदकों को आवंटन के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर तीन वर्षों का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा, परंतु यह अधिभार संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जायेगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा:-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, घायल सैनिक एवं उनके आश्रित
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद केआश्रित
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से नि:शक्त तथा उनकेआश्रित
5. परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेनामेडल, नौ सेनामेडल, वायु सेना मेडल, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना/नौ सेना/वायु सेना मेडल प्राप्त सैनिकों के आश्रित

6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मेडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

24.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों के प्रवेश के समय आवंटन अंक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो, पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ दिया जा सकेगा।

24.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/53, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आईटी-3/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुपालन में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

24.7 एन.सी.सी. “सी” प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय में रिक्त स्थानों पर 01 प्रतिशत स्थानआरक्षित रहेगा।

24.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

24.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/संविदा नियुक्त/दिव्यांग अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विश्वविद्यालय, प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारियों, प्रयोग शाला एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिये सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

24.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि दशमलव में आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

24.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवेदन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनकी संस्था से संबंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रम/विषय, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी (अल्पसंख्यक श्रेणी: गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के अनुसार भी दी जायेगी)।

24.12 कंडिका 6.4 अनुसार यू.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के आवेदक उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान आरक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

24.13 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

24.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्ययन में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन करते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। या संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की सूची चयनित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

24.(B) आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों हेतु) :-

संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्या का विभाजन

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रम बी.एड., एम.एड., डी.एल.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय), बी.ए. एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) ITEP एवं बी पी एड (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.एड. (चार वर्षीय-तीन वर्षीय) आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डब्ल्यू.पी. 5436/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा। द्वितीय चरण के उपरांत यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ण नहीं होती है, तो तृतीय चरण को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गुणानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला विश्वविद्यालय दर्ज है।

(घ) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत नियमानुसार होगा:

म.क्र./क्र	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचितजाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोट:
मध्यप्रदेश के राज पत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-ई/सीअ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। रिट याचिका क्रमांक 5901/2019 द्वारा उक्त संशोधन चुनौती दिए जाने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अन्य पिछड़ों के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

व- मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में विभिन्न वर्गों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:

1. सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नाती/नातिनों के लिये 03 प्रतिशत।
3. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विद्यार्थि
   नियों के लिये 01 प्रतिशत।

I. महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) है। कुल स्थानों की 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यताक्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

II. सैनिक वर्ग (एक) कुल स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत सैनिक कर्मचारियों या उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होगी। सैनिक वर्ग में स्वयं सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत तथा कर्मचारी तथा ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान दिव्यांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थियों के इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में ऐसे व्यि से है जो भारत सरकार के रक्षामंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के रूप में प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवसायिक होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पद नाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी/उनकी पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रक्षाकर्मचारी की पुत्र/पुत्री हो।

टिप्पणी: सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

III. स्वतंत्रतासंग्रामसेनानीसंबंध (F.F.) :-

कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नाती/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी हों तथा नियमों के अनुसार पात्रता रखते हों। इस नियम के प्रावधान हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उनका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के पास रखी सूची में दर्ज हो।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर के निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने का वैध प्रमाण पत्र होगा।

IV. नि:शक्तजन (विकलांग) कुल स्थानों का पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) नि:शक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में शासन के नियमानुसार आरक्षण हेतु दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिविकलांग आवेदकों को पात्रता होगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. विधवा/परित्यक्ता: इस वर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परित्यक्ताओं के लिये आरक्षित है।

VI. यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवसाय स्थापित किया गया हो तो इस वर्ग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्तप्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VII. संबंधित बाहरी राज्य के अधि प्रमाणित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र मान्य प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे (संलग्न प्रारूप क्रमांक 7 एवं 8)।

VIII. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।

IX. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित विश्वविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।

X. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित विश्वविद्यालय की वरीयता न होने पर म.प्र. राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जायेगा।

XI. अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाएंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आरक्षित आवेदकों की वरीयताएं नहीं होने पर तृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थान गैर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच स्थान आवंटित किया जायेगा।

25. अधिकार :-

अधिकार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिकार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार शैक्षणिक सत्र (अर्थात सत्र 2021-22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिकार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन शैक्षणिक सत्र (अर्थात सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ग) अधिकार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। छात्रवृत्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत पर ही अधिकार होगा। अधिकार के लिये नवीन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी प्रवेश पंजीयन के समय आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिकार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिकार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

खेल कूद विधा में विश्वविद्यालय में कुलसीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीटें खेल कूद में "ए" श्रेणि प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउट साइडर के आधार पर सुरक्षित होंगी। (24 मई 2022 के आदेशानुसार) कला-संस्कृति (युवा उत्सव)/एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट एवं गाइड सोसायटी में शामिल "ए" श्रेणियों के प्राप्त आवेदक के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5-5 सीटें आउट साइडर के आधार पर प्रवेश देने के लिये सुरक्षित होंगी। राज्य/संभाग/जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में आवेदकों के लिये बी एवं सी प्रमाण पत्र के आधार पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। आउट साइडर के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी।

25.1 खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रेणी I विशेष प्रोत्साहन आउट साइडर (Outright)

1. ओलंपिक खेल कूद/विश्व चैम्पियनशिप/वर्ल्डकप/कॉमन वेल्थ सामूहिक खेल/परिवर्तन चैम्पियनशिप/साउथ एशियन मंगल/ओलंपिक खेल/अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउट साइडर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार/मान्यता प्राप्त संघ द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वालीराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, जूनियर प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल कूद मीट/मिनी नेशनल, इंटर जोनलनेशनल/नेशनलस्कूलगेम्स/अंडर 17/19 सीनियरस्कूलगेम्स, अंडर 17/21/यूथ/जूनियर नेशनल, सब जूनियर जोनलनेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त/प्रति निधित्व करने वाले खिलाड़ी	

श्रेणी - B (प्रतिशत अधिकार)

स्टेट प्रतियोगिता/इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल महोत्सव आयोजित राज्यस्तरीय/ अंतरजिला/एनसीसी/ एनएसएस /स्काउट/गाइड/युवा महोत्सव आदि प्रतियोगिता के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिकार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येकसदस्यको	15 प्रतिशतअधिकार

श्रेणी–C (प्रतिशतअधिकार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ब्लॉक/जिला/संभाग स्तर जिले की प्रतियोगिता, सीबीएसई/एनसीसी/एनएसएस/स्काउट/गाइड/ युवा महोत्सव, स्कूलगेम्स (जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन/जिला डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन/जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित) के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिकार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	5 प्रतिशत अधिकार

25.2 कला, संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए
श्रेणी। विशेष प्रोत्साहन आउट साइडर (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट/विजेता स्थान एवं प्रतियोगिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता	**गतिविधियां:** • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/लोक, पाश्चात्य) • नाटक (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य) • शास्त्रीय/सुगम/लोक/पाश्चात्यगायन • एकल/समूहवादन • रचनात्मकलेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • डिजिटल मीडिया (फोटो ग्राफी/फिल्म निर्माण) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य) • फाइन आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग/मूर्तिकला) • थियेटर • वाद-विवाद (हिन्दीएवंअंग्रेजी) • विज्ञानसंबंधीगतिविधियां	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउट साइडर प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी–B, C & D (प्रतिशतअधिकार)

नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/राज्यस्तरीय), गायन हिन्दुस्तानी/ पाश्चात्य, नाटक शास्त्रीय/सुगम लोक, पाश्चात्य, सुगम, रचनात्मकलेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी), डिजिट लमीडिया (फोटो ग्राफी/एनिमेशन/ फिल्म निर्माण), संगीत वादन (हिन्दुस्तानी/ पाश्चात्य), फाइन आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग/ मूर्तिकला), थियेटरडिबेट (वाद-विवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	राज्य स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतियोगिता पर	15 प्रतिशतअधिकार
	संभाग स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त होने पर (अधिकार हेतु पात्रता होगी, परन्तु प्रतियोगिता सम्मिलित नहीं होगी)	10 प्रतिशत अधिकार
	जिला स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिकार हेतु पात्रता होगी परंतु प्रतियोगिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिकार

25.3 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाइड/रोवर्स) एवं रेडक्रॉस सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु श्रेणी। विशेष प्रोत्साहन आउट साइडर (Outright)

1	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउट साइडर प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउट	
3	मध्यप्रदेश का सर्वोच्च एन.सी.सी. कैडेट	
4	ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अवॉर्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
5	भारत के गणतंत्र राष्ट्रीय कैंप (यूनाइटेड नेशन्स यूथ एम्बेसडर प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	

6	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी–B(प्रतिशतअधिकार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. की सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3	राज्य पाल स्काउट	

श्रेणी–C (प्रतिशतअधिकार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. का सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. की सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	

श्रेणी–ब(प्रतिशतअधिकार)

1	भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गति विधियों के लिये	

25.4

ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत

25.5

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

25.6.

जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को	1 प्रतिशत

25.7

स्थानीय विद्यार्थियों को प्रदेश में प्राथमिकता (स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए)	5 प्रतिशत

25.8. निर्धारित न्यूनतम संबंधित शैक्षणिक योग्यता नियम के अनुसार/विद्यालय में उत्तीर्ण होने के आधार पर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण - कंडिका 25 के प्रावधान NCTE पाठ्यक्रमों के प्रवेश पर लागू नहीं होंगे। NCTE पाठ्यक्रमों में अधिकार NCTE के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

26. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

26.1 प्रवेश पश्चात विश्वविद्यालय के अधिकार :-

26.1.1 गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जान बूझकर अथवा छिपाये गये तथ्य/जानकारी अथवा प्रशासनिक अथवा तकनीकी कारणों से आवंटित/प्रवेशित आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है तब संस्था में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

26.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामलों में विश्वविद्यालय पृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने आवश्यक पात्रता पूरी कर ली है, जिनके प्रभाव में उन्हें गलत/असमय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

26.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदनुसार ही समुचित कारण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

26.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 24.2 में वर्णित अनुशासन हीनता के प्रकरण में विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उन्हें संस्था से निष्कासित करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

26.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के बिंदु क्रमांक 07 एवं कंडिका 7.1 का नियममानुसार पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

26.2.1 प्रावधिक प्रवेश उपरांत अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- काट कर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।

26.2.2 प्रवेश उपरांत शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशनमनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

26.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशनअनुसार 2018 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा राशि वापसी की जाएगी।

टिप्पणी: यू.जी.सी. द्वारा सूची बद्ध वैज्ञानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जाएंगे।

26.3 छात्र वृत्तियोजना परिवर्तन :-

26.3.1 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/लाड़ली लक्ष्मी योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित विश्वविद्यालय में परिवर्तन कर सकते हैं। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क समायोजन करना अनिवार्य होगा।

26.3.2 इस संबंध में विश्वविद्यालय विधिवत सूचना प्रसारित कर प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

26.4 विषय/पाठ्यक्रम/विश्वविद्यालय परिवर्तन:-

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्चशिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की पात्रता अनुसार परिवर्तन सम्भव होगा। विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लेखन होनेकी शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/विश्वविद्यालय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। सामान्य/पारम्परिक पाठ्यक्रमों से विधि पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी।

प्रवेशित विद्यार्थी हेतु विश्वविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया:-

सत्र 2025-26 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना विश्वविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं, ऐसे स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन संबंधित विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय की सहमति के साथ जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया जाना है, को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय की सहमति आवश्यक होगी। एक विषय में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया समस्त प्रवेश शुल्क 03 दिवस की समयावधि में स्थानांतरित विश्वविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित विश्वविद्यालय के स्थानांतरण के कारण होने पर ही अन्य विश्वविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

विशेषटीप**:** आवेदक का स्थानांतरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहां पूर्व विश्वविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहा हो एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानांतरित होने वाले विश्वविद्यालय की मेरिट सूची अनुकूल पात्रता बनती हो।

26.6 अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समयसीमा में जमा किया गया है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करके सीधे विश्वविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है, ऐसी स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यवाही उपरांत उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा।

26.7 प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटि पूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया :-

(क) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। शासकीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।

(ख) अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी अशासकीय विश्वविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की स्थिति में, यदि किसी प्रकार की त्रुटियां हो तो विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय सीमा में आवेदक के मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। शासकीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।

26.8 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुके हैं। अतः सत्र 2025-26 के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 5.1.7 के अनुसार प्रवेश पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली समस्त राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।

26.9 प्रवेश निरस्तीकरण उपरांत विद्यार्थी को दिये गये स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑन लाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय की स्वीकृति स्पष्ट रहे।

26.10 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान/व्यवस्था: ऐसे अशासकीय विश्वविद्यालय जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है, उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

26.11 NCTE पाठ्यक्रमों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस एल पी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित तिथियों तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित विश्वविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

26.12 एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उन मार्गदर्शी सिद्धांतों में समावेश करते हुए संशोधित किया जायेगा।

26.13 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को योजनाओं/छात्रवृत्ति आदि की पात्रता मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी।

26.14 मार्ग दर्शिका में उल्लिखित समस्त कंडिकाएं एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगी। विद्यार्थियों को आरक्षण, अधिकार, प्रवेश की पात्रता आदि एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार लागू होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र के संस्थानों में यथानुसार नियम लागू होंगे।

26.15 इन प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है। विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन जारी करने, समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने, प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार है। विधिक एवं संवैधानिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

कुलसचिव

रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर

प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2026-27

विषयवार सीट एवं प्रवेश शुल्क

Under Graduation Courses

S.No.	Department	Course Name	Major Subject	No. of Seats	Fee. Mode	Amount
1	**Arts**	**UG - B.A.**	Hindi Literature	30	Yeraly	**2500/-**
			Sanskrit	30	Yeraly	**2500/-**
			English Literature	30	Yeraly	**2500/-**
			Economics	30	Yeraly	**2500/-**
			History	30	Yeraly	**2500/-**
			Geography	30	Yeraly	**3000/-**
			Political Science	30	Yeraly	**2500/-**
			Sociology	30	Yeraly	**2500/-**
			Psychology	20	Yeraly	**3000/-**
			Music	20	Yeraly	**3000/-**
		BA with	Computer Application	20	Yeraly	**2500/- +2500/-**
2	**Commerce**	**UG - B Com**	All Subject	60	Yeraly	**2500/-**
		BCom with	Computer Application	40	Yeraly	**2500/- + 2500/-**
3	**Science**	**UG - BSc (Agriculture)**	All	120	Per Semester 15000/-	**30000**
		BSc Plane	Botany	30	Yearly	**5000**
			Zoology	30	Yearly	**5000**
			Chemistry	30	Yearly	**5000**
			Mathematics	30	Yearly	**5000**

		BSC with	Computer Application	20	Yearly	**5000 + 2500**
			Physics	30	Yearly	**5000/-**
4	**Library Science**	**B.Lib**	B.Lib	30	Yearly	**10000/-**
5	**Diploma**	**UG Diploma**	Mushroom Cultivation	30	Yearly	**2000/-**
Post Graduation Courses						
6	**Arts**	**PG - MA**	Hindi Literature	40	Yearly	**4500/-**
			Sanskrit	40	Yearly	**4500/-**
			English Literature	40	Yearly	**4500/-**
			Economics	40	Yearly	**4500/-**
			HIstory	40	Yearly	**4500/-**
			Sociology	40	Yearly	**4500/-**
			Psychology	40	Yearly	**5500/-**
			Geography	40	Yearly	**5500/-**
			Political Science	40	Yearly	**4500/-**
			Yoga Science	40	Yearly	**5500/-**
7	**Science**	**MSc**	Mathematics	40	Yearly	**5000/-**
8	**Library Science**	**M.Lib**	M.Lib	20	Yearly	**12000/-**
9	**Commerce**	**PG - M Com**	Commerce	40	Yearly	**5000/-**
10	**Other**	**PG Diploma**	Public Administration	20	Per Semester 2500/-	**5000/-**
11		**PG Diploma**	Yoga & Naturopathy	20	Per Semester 4000/-	**8000/-**
12	**Law**	**B.A. LL.B**		120	**38,000/- Per Year**	
प्रथम वर्ष में 28000/-+2000/- कॉशनमनी						
13	**Law**	**LL.B**		60	**28000/- Per Year**	
प्रथम वर्ष में 38000/-+2000/- कॉशनमनी						

:: प्रवेशसमिति ::

1. डॉ. भावना पटेल, सहायक प्राध्यापक —संयोजक
2. डॉ.मिथलेश शरण चौबे, सहायक प्राध्यापक —सदस्य
3. डॉ. अमितेष सोनी, सहायक प्राध्यापक —सदस्य
4. डॉ. नीलम सिंह, सहायक प्राध्यापक —सदस्य
5. डॉ. रूचि राठौर, सहायक प्राध्यापक —सदस्य
6. डॉ. पवन कुमार खटीक, ग्रंथपाल —सदस्य
7. श्री पंचम लाल सनोडिया, सहायक कुलसचिव —सदस्य
8. श्री शीतल सोनी, प्रयोगशाला तकनीशियन —सदस्य

अन्य सदस्य :—

1. डॉ. अरविन्द दीक्षित
2. डॉ. आकांक्षा जैन
3. डॉ. प्रगति बिल्थरे
4. डॉ. आकृति कन्नौजिया

प्रवेश सहायता कक्ष

कक्ष क्रमांक 01 (हेल्पडेस्क)

नंबर – **07582299604**

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुभाग.................................जिला...........................मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.........................प्रकरण क्रमांक...................................
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के नाम संविधान अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.. जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम :

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक...दिनांक...

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................... पिता/पति का नाम ....के नाम निवासी है जो...................... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है जो कि सूची के क्रमांक.................................... पर अंकित है।

श्री .... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला ....संभाग............................ में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...(पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र., -1 दिनांक-2 जुलाई, 2013 की कंडिका क्रमांक के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/ मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.................................. दिनांक..................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..जो कि श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) ....के पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित ....(पाठ्यक्रम का नाम) ....(प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.................................. पद पर सर्विस क्रमांक.................................. के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में.................................. पद पर सर्विस क्रमांक......................... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष ....में हो चुकी है।

स्थान
दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर

....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 (ब)

मध्यप्रदेश में / मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.................................... दिनांक..

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) पिता/माता है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित नाम) (पाठ्यक्रम का नाम) (प्रवेश का वर्ग) में प्रवेश के लिये आवेदक है।

(अ) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना / वायुसेना / नौसेना में चुकी है। पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान...
दिनांक...

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर
....
(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 (स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.. दिनांक..................................

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी. (आवेदक का नाम).. जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित ....(पाठ्यक्रम का नाम) प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष ....के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है तथा श्री/श्रीमती /.. आवेदक के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से... (स्थान) तहसील.................................. जिला.................................. में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान..

दिनांक...

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हस्ताक्षर

कार्यालय सील

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................. दिनांक...................................

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती............................ (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती ....(आवेदक के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती.. (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

(2) श्री/श्रीमती ....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला........................ (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (....................) में क्रमांक.......................... पर पंजीकृत है।

स्थान..............................

दिनांक............................

हस्ताक्षर

कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-5

फोटो
स्व प्रमाणित

स्व प्रमाणित आय का घोषणा पत्र
(सादे कागज़ पर)

मैं...आत्मज श्री..................................आयु................वर्ष घोषणा करता/करती हूँ कि-

1. मैं वर्तमान में... में निवासरत हूँ।

2. मेरे नाम से ग्राम...में .... हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये..................................शब्दों में.. की वार्षिक आय होती है।

3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.......................... शब्दों में..................................... है।

4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये.................................... शब्दों में....................................... है।

5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं-

1........................ 2..................... 3...........................4.......................... 5........................

(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है।)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये.................. शब्दों में..............................है।

7. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/ घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व लगभग.................................. समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र राशि .... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं...आत्मज /पति श्री..................................आयु................वर्ष निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञात है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।
सत्यापन आज दिनांक.......................... वर्ष ....को स्थान ....में किया गया।

हस्ताक्षर

प्रारूप-6

बाह्य राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(All SC/ST Candidates are required to submit their Caste Certificate in the prescribed format only)

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari ______________________

Son/daughter of ______________________

of village/town* ______________________

in District/Division of the State/Union ______________ Of the State/Union

Territory ______________ belongs to the ________ Caste/ Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste Scheduled Tribe*

Under

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950;

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

(As amended by the Scheduled Castes and Schedules Tribes Lists (Modification Order) 1955, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Schedules Tribes Orders(Amendment) Act, 1976.)

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;

*The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

*The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968;

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.;

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; *The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; * The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978; *The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989; *The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 1990, *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Amendment Act, 1991, *The Constitution (Scheduled Tribes) Order Second Amendment Act, 1991.

**This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate Issued to Shri/Shrimathi__________ father/mother of Shri/Shrimathi/Kumari ______________ of in District/Division*- ______________ of the State/Union Territory* ______________________ who belong to the Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory ______________ issued by the ______________________ dated ______________

Shri/Shrimathi*/Kumari* ______________________ and or* his/her*family ordinarily reside(s) in village/town* ______________________ of District/division of the State/Union Territory of ______________________

Signature______________ Designation ______________

(With seal of office) State/Union Territory

Place______________ dated______________________

Note: The term "Ordinarily resides used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950. Please delete the words which are not applicable.

**Applicable in the case of SC, STs Persons who have migrated from one State/UT (Employment News 9/93)*

प्रारूप-7

बाह्य राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

[CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCl) APPLYING FOR ADMISSION]

This is to certify that Shri/Smt./Kum.______________ Son/Daughter of Shri/Smt.______________ of Village/Town ______________ District / Division______________ in the______________ State belongs to the______________ Community which is recognized as a backward class under:

1. Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No.186 dated 13/09/93.
2. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 163 dated 20/10/94.
3. Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 88 dated 25/05/95.
4. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.
5. Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part 1 Section 1 No. 210 dated 11/12/96.
6. Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
7. Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
8. Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
9. Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 270 dated 06/12/99.
10. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part 1 Section No. 71dated 04/04/2000.
11. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No.210 dated 21/09/2000.
12. Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 05/09/2001.
13. Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003.
14. Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.
15. Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of Extraordinary Part I Section I No.210 dated 16/01/2006.

Shri/Smt./Kum______________ and/or his family ordinarily reside(s) in the______________ District/Division of ______________ State. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

Seal

District Magistrate/Competent Authority

NOTE:

(a) The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

1. District Magistrate / Additional Magistrate / Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner [not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

(c) The annual income/status of the parents of the applicant should be based on financial year ending March 31, 2014